

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग


अधिसूचना संख्या-प्र06/विविध 65/2015 - 6918 खाद्य, पटना/दिनांक - 29-8-2015
विभागीय संकल्प संख्या 388 दिनांक 21.01.2014 द्वारा गठित बिहार राज्य खाद्य
आयोग के अध्यक्ष के पद पर मो0 अता करीम, ग्राम+पोस्ट-बिरदीपुर, भाया कंसी
सिमरी, थाना-सिमरी, प्रखंड-सिंहवाड़ा, जिला-दरभंगा को विभागीय अधिसूचना संख्या
1468 दिनांक 24.02.2014 द्वारा नियुक्ति की गयी ।

मो0 अता करीम, अध्यक्ष बिहार राज्य खाद्य आयोग द्वारा अपने पद का
दुरुपयोग करने, घोर वित्तीय अनियमितता बरतने एवं अन्यहित अर्जन करने के कारण
विभागीय पत्र सं0 6912, दिनांक 28.08.2015 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया।

इसके आलोक में मो0 अता करीम, अध्यक्ष द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 29.
08.2014 को विभाग में उपलब्ध कराया गया। अपने स्पष्टीकरण में मो0 अता करीम,
अध्यक्ष द्वारा आरोपों के संबंध में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया, जिससे उनके उपर
लगे आरोप का खण्डन हो सके।

अतः मो0 अता करीम, अध्यक्ष से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षापरांत
उनके द्वारा पद का दुरुपयोग करने, वित्तीय एवं अन्य हित अर्जित करने का आरोप
सही पाया गया है, जिसके कारण उनके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है एवं उनका
अध्यक्ष के पद पर लोकहित में बने रहना हानिकारक है। अतः स्पष्टीकरण को अस्वीकृत
करते हुए उपरोक्त आरोपों के आलोक में मो0 अता करीम, ग्राम+पोस्ट-बिरदीपुर, भाया
कंसी सिमरी, थाना-सिमरी, प्रखंड-सिंहवाड़ा, जिला-दरभंगा को बिहार राज्य खाद्य
आयोग नियमावली 2014 के नियम 8(3) के तहत बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष
पद से तत्काल प्रभाव से पद से हटाया/पदमुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(पंकज कुमार)

सरकार के सचिव

खाद्य, पटना/दिनांक - 29-8-2015

ज्ञापांक:- प्र06/विविध 65/2015 - 6918

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के
आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित(दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 संलग्न) ।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने
की कृपा की जाय ।


सरकार के सचिव

खाद्य, पटना/दिनांक - 29-8-2015

ज्ञापांक:- प्र06/विविध 65/2015 - 6918

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव

खाद्य, पटना/दिनांक - 29-8-2015

ज्ञापांक:- प्र06/विविध 65/2015 - 6918